न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना (RAS)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 85 / 2019

1. जोगेन्द्र उर्फ ज्ञानचन्द आत्मज बजरंगलाल जाति गुजर निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन राज0
2. देवराज उर्फ अभय आत्मज बजरंगलाल जाति गुजर निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन राज0
3. घनश्याम आत्मज बजरंगलाल जाति गुजर निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन राज0
4. हीरालाल आत्मज बजरंगलाल जाति गुजर निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन राज0
5. कान्ता बाई बेवा बजरंगलाल जाति गुजर निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन राज0

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी राज0

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए. एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री केशव दाधीच

–: निर्णय :–

दिनांक– 30.10.2019

1. वादीगण की ओर से उक्त वाद पत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का दिनांक 04.06.2019 को पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं. 362 की खसरा संख्या 1620 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 1880 रकबा 0.74 है0, ख.सं. 2844 रकबा 2.94 है0 कुल

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

किता 3 कुल रकबा 3.71 है0 वाके ग्राम के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है। वादीगण 1 लगायत 4 के पिता श्री बजरंगलाल जी की दिनांक 27.09.1992 को मृत्यु होने के समय वादीगण सं. 1 व 2 छोटे व नाबालिग थे जिन्हे घर के उपनाम से जाना जाता है। इसी कारण पिताजी की मृत्यु के उपरान्त फौती नामान्तकरण में वादी सं. 1 व 2 का नाम जोगेन्द्र तथा देवराज लिख दिया जबकि शिक्षा अध्ययन के दौरान वास्तविक नाम कमशः ज्ञानचन्द व अभय लिखा है जो सही है। वादीगण सं. 1 व 2 के बालिग होने पर वादीगण सं. 1 व 2 के उपनाम की जानकारी बैंक से ऋण लेने पर मार्च 2019 में जानकारी हुई। वादीगण का सभी अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम ज्ञानचन्द व अभय है जो काबिल दुरस्ती है क्योकि उक्त गलत नाम सहवन से लिखे गये है जिससे वादीगण सं. 1 व 2 को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा पक्षकारो के हक, हिस्से व अधिकारो पर किसी प्रकार का हित प्रभावित नही हो रहा है ना ही वादीगण ने हिस्से के बाबत् कोई कथन किया है। इस कारण जमाबन्दी में दर्ज अन्य सहखातेदारान को पक्षकारान नही बनाया गया है। वादकारण दिनांक 27.05.2019 को हुआ जबकि उक्त नामों को दुरस्त करने के लिये प्रतिवादी से निवेदन किया जिन्होने ने मना कर दिया। अन्त में प्रार्थना कि गई कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी कम 1 व 2 का नाम कमशः जोगेन्द्र व देवराज के स्थान पर ज्ञानचंद व अभय दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

3. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वादी वकील ने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 ज्ञानचंद उर्फ जोगन्द्र व पी.डब्ल्यू 2 रामपाल के शपथ पत्र व दस्तावेजों में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75, आधार कार्ड, वोटर आई डी, राशनकार्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का प्रमाण–पत्र प्रमाण पत्र पेश किये।

5. बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। अवलोकन पर वादी वकील द्वारा बयानो एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वादपत्र में

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

वर्णित तथ्यों को प्रमाणित किया है अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 362 की खसरा संख्या 1620 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 1880 रकबा 0.74 है0, ख.सं. 2844 रकबा 2.94 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71 है0 वाके ग्राम के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में दर्ज वादी क्रम 1 व 2 का नाम क्रमशः जोगेन्द्र व देवराज के स्थान पर जोगेन्द्र उर्फ ज्ञानचंद व देवराज उर्फ अभय अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी * के0 पाटन *

30/10/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवराय पाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत इजलास–
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

जोगेन्द्र उर्फ ज्ञानचंद V/S राज0 राज्य

वाद– अधिकार घोषणा व इन्द्राजदुरस्ती
मुकदमा नम्बर :: 85/2019

वादीगण की ओर से श्री केशव कुमार दाधीच, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से .... की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 30.10.19 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 362 की खसरा संख्या 1620 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 1880 रकबा 0.74 है0, ख.सं. 2844 रकबा 2.94 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.71 है0 वाके ग्राम के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में दर्ज वादी कम 1 व 2 का नाम कमशः जोगेन्द्र व देवराज के स्थान पर जोगेन्द्र उर्फ ज्ञानचंद व देवराज उर्फ अभय अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................. बाबत ....ग.......... ... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल वादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.10.2019 को जारी की गई।

मोहर

(उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन)

30/10/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

(उपखण्ड अधिकारी के. पाटन (बून्दी))

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.11.20 15:22:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: